RNI No. MAHBIL /2009/31746

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ५, अंक १४] गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१, २०१९/श्रावण ३-९, शके १९४१ [पृष्ठे २१

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१, सन् २०१७.— महाराष्ट्र माल तथा सेवा कर (स्थानीय प्राधिकरणों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, २०१७। . .	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२, सन् २०१७.— महाराष्ट्र माल और सेवा कर संबंधित विधियाँ (संशोधन, विधिमान्यकरण तथा व्यावृत्ति) अधिनियम, २०१७। . .	८

MAHARASHTRA ACT No. XLI OF 2017.

THE MAHARASHTRA GOODS AND SERVICES TAX (COMPENSATION TO THE LOCAL AUTHORITIES) ACT, 2017.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २८ मई, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हि. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLI OF 2017.

AN ACT TO PROVIDE FOR COMPENSATION TO THE MUNICIPAL CORPORATION OF BRIHAN MUMBAI AND OTHER LOCAL AUTHORITIES FOR LOSS OF REVENUE ARISING ON ACCOUNT OF ABOLITION OF OCTROI AND LOCAL BODY TAX, DUE TO IMPLEMENTATION OF THE GOODS AND SERVICES TAX AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २९ मई, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

माल तथा सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण, चुंगी और स्थानीय निकाय कर के उत्सादन के कारण उद्‌भूत राजस्व की हानि के लिये बृहन्मुंबई नगर निगम और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के लिये क्षतिपूर्ति और तत्संबंधी और उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि माल तथा सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण, चुंगी और स्थानीय निकाय कर के उत्सादन के कारण उद्‌भूत राजस्व की हानि के लिये बृहन्मुंबई नगर निगम और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को क्षतिपूर्ति देने और तत्संबंधी और उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करना इष्टकर हैं ; अतः, भारत गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र माल तथा सेवा कर (स्थानीय प्राधिकरणों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, २०१७ कहलाए ।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा ।

(३) यह, ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में जब तक कि, संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,—

सन् २०१७ का महा....।

(क) " नियत दिनांक " का तात्पर्य, जिस दिनांक पर महाराष्ट्र माल तथा सेवा कर अधिनियम, २०१७ प्रवृत्त होगा, से है ;

(ख) " आधार वर्ष " का तात्पर्य, अधिनियम की धारा ४ में विनिर्दिष्ट वर्ष, से है ;

(ग) " आधार वर्ष राजस्व " का तात्पर्य, अधिनियम की धारा ५ में यथा विनिर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा संग्रहित राजस्व, से है ;

(घ) " क्षतिपूर्ति " का तात्पर्य, अधिनियम की धारा ८ के अधीन अभिनिर्धारित रकम, से है ;

सन् २०१७ का महा....।

(ड़) " माल तथा सेवा कर अधिनियम " का तात्पर्य, महाराष्ट्र माल तथा सेवा कर अधिनियम, २०१७ से हैं ;

(च) " स्थानीय प्राधिकरण " का तात्पर्य, अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरणों, से है ;

(छ) " प्रक्षपित वृद्धि दर " का तात्पर्य, अधिनियम की धारा ३ के अनुसार संभावित वृद्धि के दर, से है ;

(ज) " प्रक्षपित राजस्व " का तात्पर्य, अधिनियम की धारा ६ और ७ के अनुसार परिगणित राजस्व, से है ;

(झ) " अनुसूची " का तात्पर्य, अधिनियम से संलग्नित अनुसूची, से है ;

सन् २०१७ का महा. .... ।

(२) इस अधिनियम में उपयोग किये गये और परिभाषित न किये गये किंतु, महाराष्ट्र माल तथा सेवा कर अधिनियम, २०१७ में परिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियाँ, अधिनियम में उन्हें क्रमशः समनुदेशित किये गये अर्थान्तर्गत हैं।

प्रक्षपित वृद्धि दर।

३. स्थानीय प्राधिकरण के लिये, शाश्वत काल में राजस्व का प्रक्षपित नाममात्र वृद्धि दर, वार्षिक रुप से संकलित किये जाने के लिये प्रति वर्ष ८ प्रतिशत होगा।

आधार वर्ष।

४. स्थानीय प्राधिकरण को किसी वित्तीय वर्ष में, भुगतानयोग्य क्षतिपूर्ति की रकम की परिगणना के प्रयोजन के लिये, ३१ मार्च, २०१७ को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष को, आधार वर्ष के रूप में, विचार में लिया जायेगा ।

आधार वर्ष राजस्व।

५. (१) बृहन्मुंबई नगर निगम के लिये, आधार वर्ष राजस्व, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-दो (राज्य सूची) की प्रविष्टी ५२ के अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहित किसी चुंगी के संबंध में, जैसे कि यह, संविधान (एक सौ एक संशोधन) अधिनियम, २०१६ के उपबंधों के प्रभावी होने से पूर्व के हैं, प्रतिदाय की शुद्ध राजस्व, आधार वर्ष के दौरान उसके द्वारा संग्रहित राजस्व होगा ।

(२) बृहन्मुंबई नगर निगम से अन्य स्थानीय प्राधिकरण के लिये, आधार वर्ष राजस्व, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-दो (राज्य सूची) की प्रविष्टि ५२ के अधीन, उद्ग्रहीत और संग्रहित प्रवेश कर, चुंगी, स्थानीय निकाय कर, उपकर या किन्हीं अन्य कर के संबंध में, जैसे कि, यह, संविधान (एक सौ एक संशोधन) अधिनियम, २०१६ के उपबंध प्रभावी होने के पूर्व के हैं, आधार वर्ष राजस्व, प्रतिदाय का शुद्ध राजस्व होगी।

परंतु, यदि, स्थानीय प्राधिकरण, ३१ मार्च, २०१६ को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष के पश्चात्, अधिसूचित हैं, तब, उस स्थानीय प्राधिकरण के लिये आधार वर्ष राजस्व, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट होंगे।

स्पष्टीकरण.—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, १ अगस्त २०१५ से, प्रति वर्ष ५० करोड रुपये से अनधिक का आवर्तन होनेवाले आयात दर के संबंध में, स्थानीय निकाय कर के उत्सादन के कारण, स्थानीय प्राधिकरण को प्राप्त करने के लिये अर्ह है ऐसी रकम, आधार वर्ष राजस्व का भाग होगी।

(३) इस धारा के प्रयोजन के लिये आधार वर्ष राजस्व, राज्य के स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा द्वारा यथा-संपरीक्षित होगा।

प्रथम वर्ष के लिये प्रक्षपित राजस्व।

६. स्थानीय प्राधिकरण के लिये प्रथम वर्ष के अवधि के लिये प्रक्षपित राजस्व, नियत दिन तक, धारा ५ में यथा विनिर्दिष्ट संग्रहित राजस्व की रकम शुद्ध प्रतिदाय द्वारा घटाकर उस स्थानीय प्राधिकरण के आधार वर्ष राजस्व पर के प्रक्षपित वृद्धि दर को लागू करके परिगणित किया जायेगा।

किसी अन्य वर्ष के लिये प्रक्षपित राजस्व।

७. स्थानीय प्राधिकरण के किसी वर्ष के लिये, प्रथम वर्ष न होते हुये प्रक्षपित राजस्व, धारा ३ के अनुसार संकलित वृद्धि दर मूलधन को लागू करने द्वारा, शद्ध प्रतिदाय उस स्थानीय प्राधिकरण के आधार वर्ष राजस्व पर के प्रक्षपित वृद्धि दर को लागू करने द्वारा परिगणित किया जायेगा।

दृष्टांत.—यदि, संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के लिये वर्ष २०१६-१७ के लिये, आधार वर्ष राजस्व, धारा ५ के अनुसार, २०० रुपये हैं, तब, वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिये, प्रक्षपित राजस्व, निम्न अनुसार, होगाः

$$\textbf{वर्ष २०१८-१९ के लिये प्रक्षपित राजस्व} = २०० \left(१ + \frac{८}{१००} \right)^{२}$$

क्षतिपूर्ति की परिगणना और उसे दे देना।

८. (१) स्थानीय प्राधिकरण को भुगतानयोग्य क्षतिपूर्ति मासिक आधार पर अस्थायी रुप से परिगणित तथा निर्मोचित की जायेगी और स्थानिय निधि लेखा संपरिक्षा द्वारा यथा संपरीक्षित अंतिम राजस्व रकम के पश्चात्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, अंतिम रुप से परिगणित की जायेगी।

(२) किसी स्थानीय प्राधिकरण को, किसी वित्तीय वर्ष के लिये, भुगतान योग्य कुल क्षतिपूर्ति, निम्ननुसार, परिगणित की जायेगी :—

(क) किसी वित्तीय वर्ष के लिये प्रक्षपित राजस्व, धारा ६ या, यथास्थिति, धारा ७ के अनुसार परिगणित की जायेगी।

(ख) स्थानीय प्राधिकरण की प्रोद्भूत राजस्व, परिगणित किया जायेगा और जो, करों, फीसों या राज्य सरकार द्वारा स्थानीय प्राधिकरण को, इस अधिनियम के प्रारंभण के पश्चात्, समनुदेशित राजस्व के अन्य स्रोतों के कारण प्रोद्भूत राजस्व और करों के दर में वृद्धि, फीस की रकम या दर में वृद्धि या राज्य सरकार द्वारा स्थानीय प्राधिकरण को, इस अधिनियम के प्रारंभण के पूर्व समनुदेशित राजस्व के अन्य स्त्रोतों के लिये अन्य माध्यमों के कारण, प्रोद्भूत राजस्व होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिये, स्थानीय प्राधिकरण को प्रोद्भूत राजस्व का तात्पर्य, राजस्व, जिसे, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण इस संबंध में उस स्थानीय प्राधिकरण और राज्य को समनुदेशित न किये गये करों, फीसों या राजस्व अन्य स्रोत रखती हैं, की अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र से संग्रहित, से हैं।

(ग) किसी वित्तीय वर्ष में भुगतानयोग्य कुल क्षतिपूर्ति, उस वित्तीय वर्ष के लिये प्रक्षपित राजस्व और खण्ड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरण को उस वर्ष के लिये, प्रोद्भूत राजस्व के बीच का अंतर होगा।

दृष्टांत

एक. प्रथम वर्ष

वर्ष २०१६-१७ के लिये आधार वर्ष राजस्व	१००.००
वर्ष २०१७-१८ के लिये प्रक्षपित राजस्व अर्थात् - ८ प्रतिशत वृद्धि।	१०८.००
इस अधिनियम के कार्यान्वयन के दिनांक तक संग्रहित स्थानीय निकाय कर / चुंगी की कम की जानेवाली रकम अर्थात् १ अप्रैल २०१७ से ३० जून २०१७ तक	२०.००
१ जुलाई २०१७ से ३१ मार्च २०१८ तक की कालावधि के लिये समनुदेशित प्रोद्भूत राजस्व की कम की जानेवाली रकम	२०.००
भुगतानयोग्य क्षतिपूर्ति	६८.००

दो. अनुवर्ती वर्ष

वर्ष २०१६-१७ के लिये आधार वर्ष राजस्व	१००.००
वर्ष २०१८-१९ के लिये प्रक्षपित राजस्व अर्थात् ८ प्रतिशत वृद्धि।	११६.६४
कम किया जानेवाला समनुदेशित प्रोद्भूत राजस्व	३०.००
भुगतानयोग्य क्षतिपूर्ति	८६.६४

(३) स्थानीय प्राधिकरण के लिये, किसी वर्ष में, प्रत्येक महीने के अंत में राजस्व की हानि, प्रत्येक महीने के अंत में, निम्न अनुसार, परिगणित की जायेगी :–

(क) प्रक्षपित राजस्व, जो संबंधित वित्तीय वर्ष की मासिक अवधि के लिये, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, अर्जित किया जा सकेगा, धारा ६ और ७ के अनुसार, यथा परिगणित, किसी वित्तीय वर्ष के लिये, कुल प्रक्षपित राजस्व के प्रतिशत के रूप में, यथानुपात आधार पर, परिगणित किया जायेगा ।

दृष्टांत.—यदि, धारा ६ या ७ के अनुसार, किसी वर्ष के लिये, संभावित राजस्व, सौ रुपये है, तब संभावित राजस्व, इस उप-धारा के प्रयोजन के लिये, मासिक अवधि में अर्जित किया गया जायेगा, वह १०० X १/१२ = ०८.३३ रुपये होगा।

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण को, नियत दिनांक से, प्रत्येक तीन महिनों की अवधि के लिये, भुगतान योग्य अस्थायी क्षतिपूर्ति, किसी वित्तीय वर्ष में, सुसंगत महीने के पाँचवे दिन को या उसके पूर्व, अग्रिम में, भुगतान किया जायेगा और खण्ड (क) में, यथा परिगणित रकम होगी। इस प्रकार भुगतानयोग्य अस्थायी क्षतिपूर्ति की रकम, अग्रिम में, प्रत्येक महीने के पाँचवे दिन को या के पूर्व, बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा, इस प्रकार पदाभिहित बैंक खाते में जमा की जायेगी, जिसकी विफलता में, पदाभिहित बैंक, बृहन्मुंबई नगर निगम के खाते में, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये गारंटी के सामने उस महीने के लिये भुगतानयोग्य क्षतिपूर्ति की रकम जमा करने के लिये, प्राधिकृत होगी।

(ग) प्रत्येक चौथे महीने में, किसी स्थानीय प्राधिकरण को भुगतानयोग्य अस्थायी क्षतिपूर्ति, चौथे महीने के लिये प्रक्षपित राजस्व और तीन महीने पहले के अवधि में स्थानीय प्राधिकरण को प्रोद्भूत राजस्व के बीच का अंतर होगी:

परंतु, यदि, पहले के तीन महीने की अवधि में स्थानीय प्राधिकरण को प्रोद्भूत राजस्व की रकम चौथे महीने में, भुगतानयोग्य अस्थायी क्षतिपूर्ति की रकम से अधिक हैं, तब, अधिक की रकम, पाँचवे तथा आगे के महीने के लिये भुगतानयोग्य रकम से कम की जायेगी।

(४) उप-धारा (२) के उपबंधों के अनुसार, परिगणित स्थानिय प्राधिकरण को भुगतानयोग्य अंतिम क्षतिपूर्ति की रकम और उप-धारा (३) के अनुसार, उक्त वित्तीय वर्ष में, स्थानीय प्राधिकरण को निर्मोचित कुल अस्थायी क्षतिपूर्ति की रकम के बीच किसी अंतर के मामले में, वही रकम, अनुवर्ति वित्तीय वर्ष में, स्थानीय प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति के निर्मोचन के सामने राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये ऐसे रित्या सहयोजित की जायेगी।

अनुसूची का संशोधन।

९. राज्य सरकार, समय-समय से **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची, उसमें किसी प्रविष्टि को जोडने या उपांतरण या अपमार्जन द्वारा, संशोधित कर सकेगी और तत्पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाये ऐसे दिनांक से, तद्नुसार संशोधित रहेगा।

नियम बनाने की शक्ति।

१०. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) इस निमित्त बनाये गए किसी उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम उसका भूतलक्षी प्रभाव नियत दिन के पहले से अन्य किसी दिनांक को न हो।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा, जो कि चाहे एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि उस सत्र के, जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या ठिक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन नियम में कोई उपांतरण करने के लिये सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाये और ऐसे विनिश्चय को **राजपत्र** में अधिसूचित करते हैं, तो नियम **राजपत्र** में ऐसे निर्णय के प्रकाशन के दिनांक से केवल ऐसे परिवर्तित रुप में ही प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जाएगा ; तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई या किये जाने से विलुप्त किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

११. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में, यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबधों से अन् असंगत ऐसी कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परन्तु, ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि अवसित होने के बाद, नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के बाद, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

अनुसूची

[देखिए धारा २ (१) (छ) और ९]

(१) अहमदनगर नगर निगम

(२) अमरावती नगर निगम

(३) औरंगाबाद नगर निगम

(४) अकोला नगर निगम

(५) भिवंडी-निजामपुर नगर निगम

(६) चंद्रपुर नगर निगम

(७) धुलिया नगर निगम

(८) जलगांव नगर निगम

(९) कल्याण-डोंबिवली नगर निगम

(१०) कोल्हापुर नगर निगम

(११) लातुर नगर निगम

(१२) बृहन्मुंबई नगर निगम

(१३) मीरा-भाईंदर नगर निगम

(१४) मालेगांव नगर निगम

(१५) नवी मुंबई नगर निगम

(१६) नासिक नगर निगम

(१७) नागपुर नगर निगम

(१८) नांदेड-वाघेला नगर निगम

(१९) पुणे नगर निगम

(२०) पिंपरी-चिंचवड नगर निगम

(२१) परभणी नगर निगम

(२२) पनवेल नगर निगम

(२३) सांगली-मिरज-कुपवाड नगर निगम

(२४) सोलापुर नगर निगम

(२५) थाने नगर निगम

(२६) उल्हासनगर नगर निगम

(२७) वसई-विरार नगर निगम.

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XLII OF 2017.

THE MAHARASHTRA GOODS AND SERVICES TAX RELATED LAWS (AMENDMENTS, VALIDATION AND SAVINGS) ACT, 2017.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २८ मई, २०१७ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XLII OF 2017.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT, THE MAHARASHTRA ENTERTAINMENTS DUTY ACT, THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT, THE MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT, THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT, THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965, THE MAHARASHTRA STATE TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT, 1975 AND THE MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT, 2002.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२, सन् २०१७।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २९ मई, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५, महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ और महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् १८८८ का ३। सन् १९२३ का १। सन् १९४९ का ५९। सन् १९५८ का ६५। सन् १९५९ का ३। सन् १९६५ का महा. ४०। सन् १९७५ का महा. १६। सन् २००५ का महा. ९।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५, महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ और महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में, एतदद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र माल और सेवा कर संबंधित विधियाँ (संशोधन, विधिमान्यकरण तथा व्यावृत्ति) अधिनियम, २०१७ कहलाए।

(२) (क) धारा ६३, धारा ६७ की उप-धारा (३) और धारा ७३ **राजपत्र** में इस अधिनियम के प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी।

(ख) शेष धाराएँ जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगी और विभिन्न उपबंधों के लिये अलग-अलग दिनांक नियत किये जा सकेंगे।

अध्याय दो

मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन ।

सन् १८८८ का ३।

सन् १८८८ का ३ की धारा ३ में संशोधन ।

२. मुंबई नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " मुंबई निगम अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३ का, खंड (त क) अपमार्जित किया जाएगा ।

सन् १८८८ का ३ की धारा १२६ में संशोधन ।

३. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा १२६ की, उप-धारा (२) के खंड (क) में, " और ऐसी वस्तुओं पर चुंगी के मामले में " शब्द अपमार्जित किए जायेंगे ।

सन् १८८८ का ३ की धारा १२८ में संशोधन ।

४. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा १२८ की, उप-धारा (१) के खंड (क) में, " और वस्तुएं जिन पर चुंगी उद्ग्रहीत की जाएगी " शब्द अपमार्जित किए जायेंगे ।

सन् १८८८ का ३ की धारा १३९ में संशोधन ।

५. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा १३९ में, प्रविष्टि (४), अपमार्जित की जाएगी ।

सन् १८८८ का ३ की उपर्युक्त धारा १९२ के शीर्षक को हटाना।

६. मुंबई नगर निगम अधिनियम की उपर्युक्त धारा १९२ का शीर्षक " चुंगी " अपमार्जित किया जाएगा ।

सन् १८८८ का ३ की धाराएँ १९२, १९३, १९४, १९४-१क, १९४क, १९५, १९५-१क और १९५-१ख को हटाना।

७. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धाराएँ १९२, १९३, १९४, १९४-१क, १९४क, १९५, १९५-१क और १९५-१ख अपमार्जित की जायेंगी ।

सन् १८८८ का ३ की धारा १९६ में संशोधन ।

८. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा १९६ में " या वस्तुओं की संख्या को जोडने द्वारा जिन पर चुंगी उद्ग्रहीत की जानेवाली है " शब्द अपमार्जित किये जाएँगें ।

सन् १८८८ का ३ की धारा १९९ का अपमार्जन ।

९. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा १९९ अपमार्जित की जायेगी ।

सन् १८८८ की धारा २१३ का अपमार्जन ।

१०. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा २१३ अपमार्जित की जाएगी ।

सन् १८८८ का ३ की धाराएँ ४७८, ४७८-१क, ४७८-१कक और ४७८-१ख का अपमार्जन ।

११. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धाराएँ ४७८, ४७८-१क, ४७८-१कक और ४७८-१ख अपमार्जित की जाएगी ।

सन् १८८८ का ३ की अनुसूची ज और ज-१ का अपमार्जन ।

१२. मुंबई नगर निगम अधिनियम की अनुसूची-ज और ज-१ अपमार्जित की जाएगी।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम में संशोधन ।

सन् १९२३ का १ की धारा २ में संशोधन ।

१३. महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " मनोरंजन शुल्क अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ में,— सन् १९२३ का १।

(१) खंड (घ-१) अपमार्जित किया जायेगा ;

(२) खंड (च-क१) के बाद, निम्न खंड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (च-क२) " स्थानीय प्राधिकरण " का तात्पर्य,—

(एक) " नगरपालिका " संविधान के अनुच्छेद २४३त के खंड (ङ) में यथा परिभाषित ; सन् १९६२ का महा. ५।

(दो) " जिला परिषद " महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ के अधीन यथा गठित ;

(तीन) " छावनी बोर्ड " छावनी अधिनियम, २००६ की धारा ३ में यथा परिभाषित ; सन् २००६ का ४१।

(च-क३) " मुख्य अधिकारी " का तात्पर्य, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ के अधीन मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किये या नियुक्त किये गये समझे जानेवाले व्यक्ति, से हैं ; सन् १९६५ का महा. ४०।

(च-क४) जिला परिषद का " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " का तात्पर्य, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ की धारा ९४ के अधीन नियुक्त जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, से हैं ; सन् १९६२ का महा. ५।

(च-क५) छावनी बोर्ड का " मुख्य कार्यकारी अधिकारी " का तात्पर्य, छावनी अधिनियम, २००६ के अधीन छावनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रुप में नियुक्त की गई व्यक्ति, से हैं ; सन् २००६ का ४१।

(च-क६) " नगरपालिका आयुक्त " का तात्पर्य, मुंबई नगर निगम अधिनियम या, यथास्थिति, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, के अधीन नियुक्त किये गये नगर निगम के निगम आयुक्त से हैं ;"। सन् १८८८ का ३। सन् १९४९ का ५९।

१४. मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा ३ में,— सन् १९२३ का १ की धारा ३ में संशोधन ।

(१) उप-धाराएँ (६), (७), (८) को छोडकर " राज्य सरकार " शब्द जहाँ कही वे आए हो, के स्थान में, " स्थानीय प्राधिकरण " शब्द रखे जाएगे ;

(२) उप-धारा (३) के खंड (ञ) में, " आयुक्त " शब्द के स्थान में " स्थानिय प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगे ;

(३) उप-धारा (४) के खंड (घ) में, " जिला कलक्टर " शब्दों के स्थान में, निम्न रखा जायेंगा, अर्थात्,—

" (एक) नगर निगम के मामले में, नगरपालिका आयुक्त, या

(दो) नगर परिषद के मामले में, मुख्य अधिकारी, या

(तीन) जिला परिषद या यथास्थिति, छावनी बोर्ड के मामले में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, " ;

(४) उप-धारा (१३) के, खण्ड (ख) के उप-खण्ड (झ) में, " कलक्टर " शब्दों के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (एक) नगर निगम के मामले में नगरपालिका आयुक्त,

(दो) नगर परिषद के मामले में मुख्य अधिकारी,

(तीन) जिला परिषद या, यथास्थिति, छावनी बोर्ड के मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी,"।

१५. मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा ३कक, अपमार्जित की जाएगी । सन् १९२३ का १ की धारा ३कक का अपमार्जन ।

१६. मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा ३क में,— सन् १९२३ का १ की धारा ३क में संशोधन।

(१) " राज्य सरकार " शब्दों के स्थान में, " स्थानीय प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) " और धारा ३कक द्वारा उपबंधित अधिभार " शब्द, अंक और अक्षर अपमार्जित किये जायेंगे।

१७. मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा ४ में, " राज्य सरकार " शब्द जहाँ कहीं वहाँ आए हों, के स्थान में " स्थानीय प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९२३ का १ की धारा ४ में संशोधन।

१८. मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा ४ख में, " राज्य सरकार " शब्द जहाँ कहीं वहाँ आए हों, के स्थान में " स्थानीय प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९२३ का १ की धारा ४ख में संशोधन।

१९. मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा ४ङ में, " राज्य सरकार " शब्द जहाँ कहीं वहाँ आए हों, के स्थान में " स्थानीय प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९२३ का १ की धारा ४ङ में संशोधन।

२०. मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा ५ में " कलक्टर " शब्द जहाँ कहीं वहाँ आए हों, के स्थान में " स्थानीय प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगे । सन् १९२३ की धारा ५ में संशोधन।

२१. मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा ६ की, उप-धारा (१) और (२) में " कलक्टर " शब्द के स्थान में " स्थानीय प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगे । सन् १९२३ का १ की धारा ६ में संशोधन।

२२. मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा ८ में, " आयुक्त " शब्द से प्रारंभ होनेवाले और " राज्य सरकार " शब्दों से समाप्त होनेवाले भाग के स्थान में " स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सम्यक रुपसे प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे । सन् १९२३ का १ की धारा ८ में संशोधन ।

सन् १९२३ का १ की धारा ९क में संशोधन ।

२३. मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा ९क में, " राज्य सरकार " शब्द जहा कहीं वह आए हों, के स्थान में " स्थानीय प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् १९२३ का १ की धारा ९ख में संशोधन ।

२४. मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा ९ख में, " सरकार " शब्द के स्थान में " स्थानीय प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् १९२३ का १ की धारा ९ग में संशोधन ।

२५. मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा ९ग में, " कलक्टर " शब्द के स्थान में " स्थानीय प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् १९२३ का १ की धारा ९घ में संशोधन ।

२६. मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा ९घ में, " कलक्टर " शब्द के स्थान में " स्थानीय प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् १९२३ का १ की धारा १० में संशोधन ।

२७. मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा १० में,—

(१) विद्यमान धारा १० उसकी, उप-धारा (१) के रूप में पुनःक्रमांकित की जायेगी और इस प्रकार पुनःक्रमांकित उप-धारा (१) में " राज्य सरकार " शब्द जहा कहीं वह आए हों, के स्थान में, " स्थानीय प्राधिकरण " शब्द रखे जाएगे ;

(२) इस प्रकार पुनःक्रमांकित की गई उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोडी जायेगी, अर्थात् :—

(२) उप-धारा (१) के प्रयोजन के लिये, स्थानीय प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग,—

(एक) नगर निगम के मामले में, नगरपालिका आयुक्त ;

(दो) नगर परिषद के मामले में, मुख्य अधिकारी ; (तीन) जिला परिषद के मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ; (चार) छावनी बोर्ड से संबंधित अधिकारीता के मामले में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, द्वारा किया जायेगा। "।

सन् १९२३ का १ की धारा १०क में संशोधन ।

२८. मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा १०क में, " कलक्टर " शब्द जहाँ कही वहाँ आया हों, के स्थान में, निम्न, रखा जायेगा अर्थात् :—

(एक) नगर निगम के मामले में, नगरपालिका आयुक्त,

(दो) नगर परिषद के मामले में, मुख्य अधिकारी, (तीन) जिला परिषद के मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (चार) छावनी बोर्ड से संबंधित अधिकारीता के मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी "।

सन् १९२३ का १ की धारा १२ में संशोधन ।

२९. मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा १२ में, " राज्य सरकार " शब्द जहाँ कहीं वहाँ आए हों, दोनों स्थानों पर " राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९२३ का १ की धारा १३ का अपमार्जन।

३०. मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा १३, अपमार्जित की जाएगी।

सन् १९२३ का १ की अनुसूची का अपमार्जन।

३१. मनोरंजन शुल्क अधिनियम से संलग्न अनुसूची, अपमार्जित की जाएगी।

अध्याय चार

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन ।

सन् १९४९ का ५९ की धारा २ में संशोधन ।

३२. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे इस अध्याय में " नगर निगम अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के, खंड (६क), (३१क), (४२), (७०क), (७०ख) और (७०ग) अपमार्जित किए जायेंगे। सन् १९४९ का ५९।

३३. नगर निगम अधिनियम की धारा ३२ की, — सन् १९४९ का ५९ की धारा ३२ में संशोधन ।

(१) उप-धारा (४) में " चुंगी या " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(२) उप-धारा (५) में " चुंगी " शब्द अपमार्जित किया जाएगा ।

३४. नगर निगम अधिनियम की धारा ९९ में " उसके खंड (ककक) के अधीन स्थानीय निकाय कर अपवर्जित करना " शब्द, कोष्टक तथा अक्षर अपमार्जित किए जाएगे । सन् १९४९ का ५९ की धारा ९९ में संशोधन ।

३५. नगर निगम अधिनियम की धारा ९९क, ९९ख, ९९ग, ९९घ, अपमार्जित की जाएगी। सन् १९४९ का ५९ की धारा ९९ क से ९९ घ का अपमार्जन।

३६. नगर निगम अधिनियम की धारा १२७ की, उप-धारा (२) के, खंड (क), (कक) और (ककक) अपमार्जित किए जायेंगे । सन् १९४९ का ५९ की धारा १२७ में संशोधन।

३७. नगर निगम अधिनियम की धारा १२८ के, खंड (५) में " चुंगी और " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे। सन् १९४९ का ५९ की धारा १२८ में संशोधन ।

३८. नगर निगम अधिनियम की धारा १४६, शीर्षक " **चुंगी से छूट** " अपमार्जित किया जाएगा। सन् १९४९ का ५९ की धारा १४६ में संशोधन ।

३९. नगर निगम अधिनियम की धारा १४९ की, उप-धारा (६), अपमार्जित की जाएगी । सन् १९४९ का ५९ की धारा १४९ में संशोधन ।

४०. नगर निगम अधिनियम का अध्याय ११ क और धाराएँ १५२ क से १५२ ण, अपमार्जित की जाएगी । सन् १९४९ का ५९ का अध्याय ११क और धाराएँ १५२ क से १५२ ण का अपमार्जन।

४१. नगर निगम अधिनियम का अध्याय ११ ख और धाराएँ १५२ त, १५२ थ, १५२ द, १५२ ध और १५२ न अपमार्जित की जाएगी । सन् १९४९ का ५९ का अध्याय ११ख और धाराएँ १५२ त से १५२ न का अपमार्जन।

४२. नगर निगम अधिनियम की धारा ३९८ और ३९८-१क, अपमार्जित की जाएगी । सन् १९४९ का ५९ की धाराएँ ३९८ और ३९८-१क का अपमार्जन।

४३. नगर निगम अधिनियम की धारा ४६६, उप-धारा (१) के परिच्छेद (क) में, — सन् १९४९ का ५९ की धारा ४६६ में संशोधन।

(१) खंड (क) में, " चुंगी और " शब्द, अपमार्जित किए जायेंगे ;

(२) खंड (ख) में, " चुंगी और " शब्द, अपमार्जित किए जायेंगे ;

(३) खंड (ग), अपमार्जित किया जाएगा ;

(४) खंड (ङ), अपमार्जित किया जाएगा ;

(५) खंड (छ), अपमार्जित किया जाएगा ;

४४. नगर निगम अधिनियम की अनुसूची क, ख और ग, अपमार्जित की जाएगी । सन् १९४९ का ५९ की अनुसूची क, ख और ग का अपमार्जन।

सन् १९४९ का ५९ की अनुसूची घ में संशोधन।

४५. नगर निगम अधिनियम की अनुसूची घ के अध्याय ८ में, नियम २६, २८ और २९, अपमार्जित किए जायेंगे ।

अध्याय पाँच

महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम में संशोधन ।

सन् १९५८ का ६५ की धारा २ में संशोधन।

४६. महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम की धारा २ के, खंड (१क) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जाएगा, अर्थात् :— सन् १९५८ का ६५।

(१क) " वाहन की लागत ",—

(क) भारत में विनिर्मित वाहन के संबंध में, का तात्पर्य, चाहे वाहन का विनिर्माता या व्यौहारी द्वारा जारी किये गये वाहन के क्रय बीजक में उल्लिखित अंतिम लागत के अनुसार लागत से हैं, जिसमें, आधारभूत विनिर्माण लागत, केन्द्रीय माल तथा सेवा कर अधिनियम, २०१७ के अधीन उद्ग्रहीत माल और सेवा कर, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ के अधीन एकीकृत माल और सेवा कर, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, २०१७ के अधीन उपकर और महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ के अधीन माल और सेवा कर सम्मिलित हैं और यदि वाहन का किसी अन्य राज्य या संघ क्षेत्र से महाराष्ट्र राज्य में विक्रय किया गया हैं तब, उस राज्य या संघ क्षेत्र में भुगतान किया जानेवाला माल तथा सेवा कर सम्मिलित होगा, और सन् २०१७ का १२। सन् २०१७ का १३। सन् २०१७ का महा. ...। सन् २०१७ का १५ ।

(ख) वाहन, उसके विनिर्माण स्थान की परवाह किये बिना, भारत में आयात किये गये वाहन का तात्पर्य, वाहन की भूमि पर उतारने के पश्चात् के मूल्य के अनुसार लागत जिसमें, सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ के अधीन निर्धारणीय मूल्य और उसपर भुगतान किया गया सीमा-शुल्क, सीमा शुल्क विभाग द्वारा प्रवेश बीजक में यथा अंकित भुगतान किया गया अतिरिक्त शुल्क, यदि कोई हो और एकीकृत माल तथा सेवा कर अधिनियम, २०१७ के अधीन एकीकृत माल तथा सेवा कर और माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, २०१७ के अधीन उपकर, यदि कोई हो सम्मिलित हैं । सन् १९६२ का ५२। सन् २०१७ का १३। सन् २०१७ का १५।

स्पष्टीकरण.—विनिर्माता या व्यौहारी द्वारा दी गई छूट, यदि कोई हो, क्रय बीजक में यथा उल्लिखित अंतिम लागत में जोड़ी जायेगी ।

(२) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७, माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, २०१७ तथा महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ के प्रारंभण के दिनांक से पूर्व विक्रय किये गये और ऐसे दिनांक के पश्चात्, रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत किये गये वाहनों पर, उपबंधों के अनुसार, जो, महाराष्ट्र माल और सेवा कर संबंधित विधियाँ (संशोधन, विधिमान्यकरण तथा व्यावृत्ति) अधिनियम, २०१७ के प्रारंभण के पूर्व प्रवृत्त थें, कर लगाया जायेगा ;"। सन् २०१७ का १२। सन् २०१७ का १३। सन् २०१७ का १५। सन् २०१७ का महा. ...। सन् २०१७ का महा. ...।

अध्याय छह

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन ।

सन् १९५९ का ३ की धारा ३ में संशोधन।

४७. महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, (जिसें इसमें आगे , इस अध्याय में, " ग्राम पंचायत अधिनियम ", कहा गया है) की धारा ३ में, धारा ३, खंड (५), (११क) (११ख) अपमार्जित किए जायेंगे । सन् १९५९ का ३।

सन् १९५९ का ३ की धारा १२४ क का अपमार्जन।

४८. ग्राम पंचायत अधिनियम, की धारा १२४ क, अपमार्जित की जायेंगी।

अध्याय सात

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५, में संशोधन ।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा २ में संशोधन।

४९. महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " नगर परिषद अधिनियम ", कहा गया है) की धारा २ का खंड (३क), अपमार्जित किया जाएगा । सन् १९६५ का महा. ४०।

५०. नगर परिषद अधिनियम, की धारा ८७ (क) की, उप-धारा (३) के, खंड (ग्यारह) में, —

(१) उप-धारा (क) में " उपकर " शब्द, अपमार्जित किया जाएगा ।

(२) उप-खंड (ख) में " उपकर " शब्द, अपमार्जित किया जाएगा ।

५१. नगर परिषद अधिनियम, की धारा १०५ की, उप-धारा (१) के, खंड (कक) और (ङ) अपमार्जित किए जायेंगे । सन् १९६५ का महा. ४० की धारा १०५ में संशोधन ।

५२. नगर परिषद अधिनियम, का अध्याय ९ क और धाराएँ १४८ क से १४८ ण तक, अपमार्जित की जाएगी। सन् १९६५ का महा. ४० का अध्याय ९क और धाराएँ १४८ क से १४८ ण का अपमार्जन।

अध्याय आठ

महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजिविका तथा नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ में संशोधन ।

सन् १९७५ का महा. १६ ।

५३. महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजिविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ की संलग्न अनुसूची एक की प्रविष्टि २०क के स्थान में, निम्न प्रविष्टि, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९७५ का महा. १६ की अनुसूची एक में संशोधन।

सन् २०१७ का महा.....।

" **२०क.** महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति । प्रति वर्ष २५००। "।

अध्याय नौ

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ में संशोधन ।

सन् २००५ का महा. ९।

५४. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ (जिसें इसमें आगे, इस अध्याय में, " मूल्यवर्धित कर अधिनियम, " कहा गया है) के दीर्घ शीर्षक में, " या क्रय " शब्द अपमार्जित किए जायेंगे । सन् २००५ का महाराष्ट्र ९ के दीर्घ शीर्षक में संशोधन।

५५. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की उद्देशिका में, " या क्रय " शब्द अपमार्जित किए जायेंगे । सन् २००५ का महाराष्ट्र ९ की उद्देशिका में संशोधन।

५६. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा २ के,— सन् २००५ का महाराष्ट्र ९ की धारा २ में संशोधन।

(१) खंड (१), (२) और (३-क) अपमार्जित किए जायेंगे ।

(२) खंड (३-क) इस प्रकार अपमार्जित करने के बाद, निम्न खंड, निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

सन् २०१७ का महा.....।

" (३-ख) " महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, के लिए नियत दिनांक " का तात्पर्य, उस दिनांक से है जिस दिनांक को महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ प्रवृत्त होगा ; " ;

(३) खंड (४) के, **स्पष्टीकरण** में, खंड (एक) अपमार्जित किया जाएगा ;

(४) खंड (७), अपमार्जित किया जाएगा ;

(५) खंड (८) के, **स्पष्टीकरण एक, दो और तीन,** अपमार्जित किये जायेंगे ;

(६) खंड (९), अपमार्जित किया जाएगा ;

(७) खंड (१२) के स्थान में, निम्न खंड, रखा जाएगा, अर्थात् :—

" (१२) " माल " का तात्पर्य, अपरिस्कृत (कच्चा) पेट्रोलियम, उच्च गती डिजल, मोटर स्पिरिट (सामान्य रुप से पेट्रोल के रुप में जाना जाता है), प्राकृतिक वायु, विमानन टर्बाईनलाईन इंधन तथा मानवी उपभोग के लिये मद्यसारिक से है ; " ;

(८) खंड (१४), के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (१४क) " महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम " का तात्पर्य, महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ से हैं ; " ;

(९) खंड (१७ क), अपमार्जित किया जाएगा ;

(१०) खंड (२०) के, **स्पष्टीकरण** एक-क अपमार्जित किया जाएगा ;

(११) खंड (२४) के, **स्पष्टीकरण** के, खंड (ख) के उप-खंड (छह) में, मानवी उपभोग के लिए माल, खाद्यान्न या किसी अन्य वस्तु का या कोई पेय (चाहे मादक हो या न हो) शब्दों के स्थान में "मानवी उपभोग के लिए मद्यसारिक " शब्द रखे जायेंगे ;

(१२) खंड (२५) में, **स्पष्टीकरण** एक-क अपमार्जित किया जाएगा ;

(१३) खंड (२७), अपमार्जित किया जाएगा ;

(१४) खंड (२९) में, "या उद्ग्रहित क्रय कर या, यथास्थिति, " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(१५) खंड (३२) का, **स्पष्टीकरण** एक, अपमार्जित किया जाएगा ;

(१६) खंड (३३) का, **स्पष्टीकरण** एक, अपमार्जित किया जाएगा।

सन् २००५ का महाराष्ट्र ९ की धारा ३ में संशोधन।

५७. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ३ की,—

(१) उप-धारा (१), अपमार्जित की जाएगी ;

(२) उप-धारा (२) में,—

(क) " जिसे उप-धारा (१) लागू नहीं होगी और जिसका आवर्तन या तो समस्त विक्रय या, यथास्थिति, क्रय के " शब्दों के स्थान में, " जो मालों के समस्त विक्रय का आवर्तन " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) परंतुक में, "और क्रय " शब्द और " या क्रय का आवर्तन " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(३) उप-धारा ३ में, "या क्रय का आवर्तन" शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ।

(४) उप-धारा (५क), अपमार्जित की जायेगी ;

(५) उप-धारा (८) में, "या क्रय" शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

सन् २००५ का महाराष्ट्र ९की धारा ६ में संशोधन।

५८. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ६ की,–

(१) उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(१) वहाँ उक्त **अनुसूची** के स्तंभ (३) में, उसमें के हर एक के सामने उप वर्णित दरों पर **अनुसूची**-ख के स्तंभ (२) में विनिर्दिष्ट, मालों के विक्रय के आवर्तन पर विक्रय कर उद्ग्रहित किया जाएगा।";

(२) उप-धारा (२) में, " अनुसूची घ " शब्द तथा अक्षर के स्थान में, "अनुसूची-ख" शब्द और अक्षर रखे जायेंगे ;

सन् २००५ का महाराष्ट्र ९ की धाराएँ ६ख और ७ का अपमार्जन।

५९. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धाराएँ ६क, ६ख और ७ अपमार्जित की जाएगी।

६०. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ८ की,– सन् २००५ का महाराष्ट्र ९ की धारा ८ में संशोधन।

(१) उप-धारा (२) में, "और स्नेहक तेल" शब्द अपमार्जित किये जायेंगे;

(२) उप-धाराएँ ३ (ग) और ३(घ) अपमार्जित की जाएगी।

६१. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा १६ की,– सन् २००५ का महाराष्ट्र ९ की धारा १६ में संशोधन।

(१) उप-धारा ६ के, खंड (ख) में, "या क्रय का आवर्तन" शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(२) उप-धारा (६) के बाद, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :–

" (६क) व्यौहारी का रजिस्ट्रीकरण, जो **अनुसूची-क** या, यथास्थिति, **अनुसूची-ख** के स्तंभ (२) में विनिर्दिष्ट किन्ही मालों के लिए वर्ष २०१६-१७, के दौरान महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम के लिये नियत दिनांक पर विद्यमान होकर बिक्री को प्रभावित नहीं करता है तो, नियत दिनांक से प्रभावी रुप से रद्द किया गया समझा जाएगा :

परंतु, कोई ऐसा व्यौहारी जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया समझा गया है वह यदि उसका आशय इन मालों का कारोबार करने का है, तो उसके रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के नवीकरण के लिए विहित रित्या में आवेदन करेगा।"।

६२. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा १७ अपमार्जित की जाएगी। सन् २००५ का महाराष्ट्र ९ की धारा १७ का अपमार्जन।

६३. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा २६क के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् २००५ का महा. ९ की धारा २६ख की निविष्टि।

"**२६ख.** राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा,— विभिन्न कार्यवाहियों का शीघ्र निपटान ।

(एक) धारा २३ के अधीन निर्धारणों, धारा २४ के अधीन परिशुद्धि, धारा २५ के अधीन पुनर्विलोकन, धारा २६ के अधीन अपीलों की कार्यवाहियों, प्रतिदाय और वसूली की कार्यवाहियों का शीघ्र निपटान करने ;

(दो) निर्धारण के मामले में चयन के निकषों ; और

(तीन) खण्ड (एक) में निर्दिष्ट प्रलंबित कार्यवाहियों के प्रत्याहत करने के लिये मामलों के चयन के निकषों के प्रावधान करनेवाली योजना तैयार की जा सकेगी ।"।

६४. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की, धारा ३० की, उप-धारा (२) में, द्वितीय परंतुक के बाद, निम्न परंतुक, जोडा जाएगा, अर्थात् :– सन् २००५ का महाराष्ट्र ९ की धारा ३० में संशोधन।

परंतु यह भी कि, व्यौहारी के मामले में, जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा १६ की उप-धारा (६क) के अधीन रद्द किया गया समझा गया है तो वह १ अप्रैल २०१७ से आरंभिक किसी अवधि के लिए, धारा २० की उप-धारा (४) के खंड (ख) या, यथास्थिति, खंड (ग) के अधीन यथा उपबंधित वार्षिक पुनरीक्षित विवरणी दर्ज करेगा तब ब्याज ब्यौहारियों के विहित वर्ग द्वारा विहित दिनांक से ऐसी वार्षिक पुनरीक्षित विवरणी देय कर की अधिक रकम पर, देय होगी ।"।

६५. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ३१क, अपमार्जित की जायेंगी। सन् २००५ का महाराष्ट्र ९ की धारा ३१क का अपमार्जन।

६६. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ४१ की, उप-धारा (४) के,– सन् २००५ का महाराष्ट्र ९ की धारा ४१ में संशोधन।

(१) खंड (क) में, "और पेट्रोलिअम उत्पादन" शब्द अपमार्जित किए जायेंगे;

(२) खंड (ख) के स्पष्टीकरण में, "और पेट्रोलियम उत्पादन" शब्द अपमार्जित किए जायेंगे;

(३) खंड (ग), अपमार्जित किया जाएगा।

सन् २००५ का महाराष्ट्र ९ की धारा ४२ में संशोधन।

६७. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ४२ की,–

(१) उप-धारा (१), अपमार्जित की जाएगी;

(२) उप-धारा (२) के "जो कोई उपहार गृह चला रहा है" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और " या विक्रेता " शब्दों से समाप्त होने वाला भाग अपमार्जित किया जायेगा;

(३) उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, जोडी जायेगी और १ अप्रैल २०१० से जोडी गई समझी जायेगी, अर्थात् :—

" (३ख) रजिस्ट्रीकृत ब्यौहारी ने फ्लैटों, निवासस्थानों, या भवनों या परिसरों का संनिर्माण हाथ में लिया था और करार के अनुसरण में भूमि या उपर्युक्त हित सहित अन्तरित किया गया था और जहाँ,—

(क) ऐसा करार ३१ मई २०१७ को या के पूर्व रजिस्ट्रीकृत है ; और

(ख) उपर्युक्त करार के संबंध में संकर्म संविदा क्रियाकलाप महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम के प्रयोजन के लिये अधिसूचित दिनांक को या के पश्चात्, जारी रखा गया है या, यथास्थिति, उसका संदाय प्राप्त किया है वहाँ,

उप-धारा (३क) में या, यथास्थिति, अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक व्हॅट/२०१५/सीआर-६५/कराधान-१, दिनांकित ९ जुलाई २०१० में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परन्तु उपर्युक्त अधिसूचना के स्तंभ ३ में अनुक्रमांक (३) से (५) और (७) में नियत शर्तों के अध्यधीन उक्त ब्यौहारी,—

(एक) अधिनियम के अधीन संकर्म संविदा के निष्पादन में जिस दिनांक को महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम प्रवृत्त होगा उस दिनांक के सद्य पूर्व दिनांक तक, मालों (चाहे वह माल या कुछ अन्य प्ररुप में हो) के अन्तरण पर देय कर के बदले में उक्त फ्लैटों, निवासस्थानों या भवनों या परिसरों के संबंध में प्राप्त संदाय के एक प्रतिशत संयोजित रकम निर्धारित करेगा, और इस प्रकार निर्धारित रकम उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार संदाय की गई संयोजित रकम से कटौती करेगा, और

(दो) जिस दिनांक को महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम प्रवृत्त होगा उस दिनांक को शेष रही उपयोग न की गई शेष रकम, महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन विहित इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता-बही में जमा की जायेगी । " ;

(४) उप-धारा (३), (३क) और (४), अपमार्जित की जायेगी ।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ४५ में संशोधन।

६८. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ४५ की,—

(१) उप-धारा (२) में "या खरीदा गया" शब्द अपमार्जित किये जायेगे।

(२) उप-धारा (३) में,—

(क) "या खरीदा गया" शब्द जहाँ कहीं वहाँ दोनों स्थानों में आये हों, अपमार्जित किये जायेगे ;

(ख) परन्तुक में, "या खरीदा गया" शब्द, अपमार्जित किये जायेंगे ।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ४७ में संशोधन।

६९. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ४७ की उप-धारा (२क) के बाद, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :–

"(२ख) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, यदि महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम के नियत दिनांकों या के बाद कोई न्यायालय, अधिकरण या केंद्र सरकार आदेश पारित करता है तब उक्त अधिनियम के उपबंध इस संबंध में लागू होंगे ।"।

७०. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ४८ की, — सन् २००५ का महा. ९ की धारा ४८ में संशोधन।

(१) उप-धारा (१) के, खण्ड (क) में,–

(क) उप-खंड (एक), (तीन) और (चार) अपमार्जित किये जायेंगे ;

(ख) उप-खंड (दो) में "या क्रय" शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(२) उप-धारा (३) अपमार्जित की जायेगी।

७१. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ४९ अपमार्जित की जायेगी। सन् २००५ का महा. ९ की धारा ४९ का अपमार्जन।

७२. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ७४ की उप-धारा (३) का, खण्ड-ग अपमार्जित किया जायेगा । सन् २००५ का महा. ९ की धारा ७४ में संशोधन।

७३. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ८४ के स्थान में, निम्न धारा रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् २००५ का महा. ९ की धारा ८४ में संशोधन।

"**८४.** (१) आयुक्त, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए रजिस्ट्रीकृत ब्यौहारी के किसी वर्ग को महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम के नियत दिनांक के सद्य पूर्व दिनांक पर उसके द्वारा रखी गई पूंजी आस्तियाँ और मालों का स्टॉक के संबंध में विहित प्राधिकारी को विस्तृत विवरण घोषित करने के लिये कह सकेगा । नियत दिनांक को रखे हुए मालों का स्टॉक की घोषणा करना और अन्य जानकारी आदि मंगाना ।

(२) आयुक्त, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम में स्थानान्तरित रजिस्ट्रीकृत ब्यौहारी के किसी वर्ग को विहित रीत्या, कोई अन्य जानकारी प्रस्तुत करने के लिये कह सकेगा ।"।

७४. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ८७, अपमार्जित की जायेगी। सन् २००५ का महा. ९ की धारा ८७ का अपमार्जन।

७५. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की संलग्न अनुसूची क की प्रविष्टियाँ १ से ६३ के स्थान में, निम्न प्रविष्टियाँ, रखी जायेगी अर्थात् :— सन् २००५ का महा. ९ की अनुसुची क में संशोधन।

(१) **ताडी** और **अरक**	. .	शून्य प्रतिशत ।
(२) विदेश में जानेवाले जहाजों और विमानों बॉन्ड से आपूर्ति किया गया माल।	. .	शून्य प्रतिशत ।"।

७६. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की संलग्न अनुसूची ख, ग और ङ, अपमार्जित की जायेगी । सन् २००५ का महा. ९ की अनुसुची क, ख, ग और ङ का अपमार्जन ।

सन् २००५ का महा. ९ की अनुसुची घ में संशोधन।

७७. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की संलग्न अनुसूची-घ उसकी अनुसूची ख के रूप में पुनः क्रमांकित की जायेगी और इस प्रकार पुनःक्रमांकित अनुसूची ख में,—

(क) प्रविष्टि ४, अपमार्जित की जायेगी ;

(ख) प्रविष्टि ६ के स्तंभ (२) में " अनुसूची-ग की प्रविष्टि ८, प्रविष्टि ११ और प्रविष्टि ११क " अंकों और शब्दों के स्थान में, " प्रविष्टि, " ११ क और प्रविष्टि १३ " अंक और शब्द रखे जायेंगे । " ;

(ग) प्रविष्टि १२, १३ और १४ के स्थान में निम्न प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात् :—

" १२ पेट्रोलियम क्रुड	. .	५ प्रतिशत ।
१३ टर्बो-प्रॉप हवाई जहाज को विक्रय किये जानेवाला विमान चालन टर्बाईन फ्युएल ।	. .	५ प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण.—इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिये " टर्बो-प्रॉप हवाई जहाज " का तात्पर्य, चाहे टर्बाईन इंजन या पिस्टन इंजिन द्वारा चलाये जानेवाले प्रोपेलर से मुख्य रुप से गति प्राप्त करनेवाले, हवाई जहाज से हैं ।

१४ विदेश जानेवाले जहाजों को आपूर्ति किया जानेवाला बंकर ऑईल	. .	६ प्रतिशत ।
१५ प्राकृतिक वायु	. .	१३.५ प्रतिशत । "।

अध्याय दस

निरसन और व्यावृत्ति

व्यावृत्तियाँ।

७८. मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ महाराष्ट्र वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ और महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ में किये गये संशोधन के होते हुये भी, इस अधिनियम द्वारा जो विधियाँ किसी कर के उद्ग्रहण, विवरणियों, निर्धारण, पुनर्निर्धारण, अपील, अवधारण, पुनरीक्षण, परिशुद्धि, निर्देश, परिसीमा, लेखा और दस्तावेज प्रस्तुत करने और परिसर की तलाशी लेने, कार्यवाहीयों का अंतरण करने, संदाय और वसूली करने, लाभों के सचिंत मात्रा की परिगणना करने, कर के संदाय से छूट देने और कर के संदाय के लिये देय दिनांक के स्थगन, हकदारी प्रमाणपत्र का रद्दकरण करने, मूल स्रोत में कर के संग्रहण या कटौती करने, प्रतिदाय या प्रतिदाय के किसी कर रोक लेने की मुजराई करने, कर के संदाय से छूट देने, सांखिकी संग्रहण करने, नियम बनाने की शक्ति, किसी शास्ति का अधिरोपण करने, या ब्याज या किसी राशि समपहरण के प्रयोजन के लिये जहाँ ऐसे कर के उद्ग्रहण, विवरणियों, निर्धारण, पुनर्निर्धारण, अपील, अवधारण, पुनरीक्षण, परिशुद्धि, निर्देश, परिसीमा, संदाय और वसुली करने, लाभ के संचित मात्रा की परिगणना करने, कर के संदाय से छूट देने और कर के संदाय के लिये देय दिनांक से के स्थगन लाने, हकदारी के प्रमाणपत्र का रद्दकरण करने, मुल्य स्रोत में कर के संग्रहण या कटौती करने, प्रतिदय, मुजराई करने, किसी प्रतिदाय छूट से रोक लेने, सांखिकी संग्रहण करने, नियम बनाने की शक्ति, परिसीमा, लेखा और दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण करने और जाँच और परिसर की तलाशी लेने, कार्यवाहियों का अंतरण करने, किसी राशि के ब्याज या समपहरण के लिये महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ के नियत दिन के सद्य पूर्व, किसी अवधि से संबंधित चाहे वह उस से संबंधित या उपर्युक्त प्रयोजनों उससे आनुषंगिक किसी अन्य प्रयोजनों के लिये, उन विधियों और महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ के नियत दिन के सद्य पूर्व प्रवृत्त सभी नियमों, विनियमों, आदेशों, और अधिसूचनाओं, प्ररुपों, प्रमाणपत्रों और सूचनाओं, नियुक्तियों

सन् १८८८ का ३। सन् १९२३ का १। सन् १९४९ का ५९। सन् १९५८ का ६५। सन् १९५९ का ३। सन् १९६५ का ४०। सन् १९७५ का महा. १६। सन् २००५ का महा. ९। सन् २०१७ का महा....। सन् २०१७ का महा....। सन् २०१७ का महा....। सन् २०१७ का महा....।

और उन विधियों के अधीन जारी शक्तियों के प्रयोजनों के लिये इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन जहाँ तक हो सके, महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ के नियत दिन के बाद भी लागू होंगे और ऐसी कार्यवाही के संबंध में कर, शास्ति, ब्याज, समपहरण राशि या की गई कर कटौती, यदि कोई हो, महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ के नियत दिन के पूर्व या के पश्चात् अदा की गई हो या न हो।

सन् १९०४ का महा. १।

(२) पूर्वगामी उप-धारा में अन्तर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, महाराष्ट्र साधारण खंड अधिनियम की धारा ७ के उपबंध, उप-धारा (१) में निर्दिष्ट अधिनियमों के किन्ही उपबंधों के निरसन के संबंध में लागू होंगे।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : DIRECTOR, DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE.